दिनांक–28 मई, 2013 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय :–

अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

1. बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार पटना के कार्यालय के निमित्त राजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 1. स्वीकृत।

अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

2. अनु० जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के त्वरित निष्पादन हेतु गठित कोषांग के निमित्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के सृजन किये जाने हेतु स्वीकृति का प्रस्ताव। — 2. स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

3. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को आवास उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आवास भत्ता की स्वीकृति के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

4. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006/2011 के अन्तर्गत घोषित रियायते एवं देय सुविधाओं के लिए प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹ 300.00 करोड़ (तीन सौ करोड़) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 4. स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

5. वर्ष 2013–14 तक के लिए अस्थायी रूप से पटना जिले के फुलवारीशरीफ प्रखंड मुख्यालय में एक नया अवर निबंधन कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव। — 5. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

6. वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2016–17 यानि चार वर्षों के लिए राज्य योजनान्तर्गत राज्य में "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के सफल क्रियान्वयन हेतु कुल ₹ 76743.33 लाख (₹ सात अरब सरसठ करोड़ तेतालीस लाख तेतीस हजार) मात्र की लागत पर स्वीकृति तथा प्रतिवर्ष व्यय को उस वर्ष के लिए उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन रखने तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल ₹ 11130.33 लाख (₹ एक अरब ग्यारह करोड़ तीस लाख तेतीस हजार) मात्र पर योजना को क्रियान्वित करने के लिए व्यय करने की स्वीकृति तथा इस स्वीकृत राशि में अनुदान की राशि को परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना से प्राप्त प्री–रिसीट बिल पर निकासी कर बी०एल०डी०ए० के खाते में रखकर प्राप्त होने वाले अनुदान से संबंधित दाबे के निष्पादन करने की स्वीकृति। — 6. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

7. केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत वैशाली जिला के विदुपुर, हाजीपुर सहदेई बुजुर्ग तथा देसरी प्रखण्डों के अधिक आर्सेनिक से प्रभावित 45 ग्रामों/बसावटों में पाईप के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था करने हेतु इन ग्रामों के अन्तर्गत वितरण प्रणाली के रूप में पाईप बिछाने हेतु रू० 9493.87 लाख (चौरानबे करोड़ तिरानबे लाख सतासी हजार रूपये) की राशि पर योजना की स्वीकृति। — 7. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

8. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को संयुक्त सचिव/अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष पद के वेतनमान में भूतलक्षी तिथि से प्रोन्नति देने का प्रस्ताव। — 8. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

10. हरियाली मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी योजना का विस्तार बिहार के सभी जिलों में करने के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

12. विभाग द्वारा गैर योजना मद से संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में संविदा/नियत मानदेय पर नियुक्त व्याख्याता/शिक्षकों की वित्तीय वर्ष 2012–13 (घटनोत्तर) तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 तक की सेवा अवधि के विस्तारीकरण प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

13. श्री विजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, दीघा, पटना (प्रतिनियुक्त कुसहा तटबंध) सम्प्रति सहायक अभियन्ता, तिरहुत नहर अवर प्रमण्डल, हाजीपुर को "सेवा से बर्खास्त" करने के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14. लखीसराय जिलान्तर्गत सूर्यगढ़ा अंचल के मौजा–घोघी थाना नं०–79, के विभिन्न खाता, खेसरों का कुल रकबा–17.62 एकड़ गैरमजरूआ मालिक की भूमि विद्युत तापगृह कजरा के निर्माण हेतु कुल 2,75,84,996/–रू० (दो करोड़ पचहत्तर लाख चौरासी हजार नौ सौ छियानवे रूपये) के भुगतान पर ऊर्जा विभाग के संकल्प ज्ञापांक–4852, दिनांक–21.12.2010 की कंडिका–II एवं III में उल्लिखित इस शर्त्त के साथ आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) को स्थायी हस्तांतरण किया जाय कि इन परियोजनाओं के लिए निजी निवेशकर्त्ता के चयन के पश्चात् परियोजना हेतु भू–अर्जन पर होने वाले व्यय की सम्पूर्ण राशि निजी निवेशकर्त्ता से वसूल कर इसे आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) को बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा एवं भूमि अर्जन हेतु व्यय की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त वसूल की जायेगी। सम्पूर्ण राशि की वसूली के पश्चात् ही आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) द्वारा अर्जित भूमि बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना को उपलब्ध कराने के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

15. मुख्यमंत्री जिला विकास योजना अंतर्गत पूर्ण करायी गयी योजनाओं के दायित्व भुगतान एवं कार्यान्वित अपूर्ण योजनाओं के वित्तीय संपोषण हेतु वर्ष 2013–14 में 2491.00 लाख रू० के विमुक्ति के स्वीकृति। — 15. स्वीकृत।

वित्त विभाग

16. जल विकास निगम से प्रच्यूषित किये गये लिपिकों में से शेष बचे हुए 12 लिपिकों के भविष्य निधि निदेशालय में समायोजन के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

17. निःशक्तजनों के लिए संचालित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना एवं बिहार निःशक्तता पेंशन योजना में पेंशन स्वीकृति प्राधिकार में परिवर्त्तन। — 17. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

18. विक्रमशीला पुल के डाउनस्ट्रीम में गंगा नदी के बांये तट पर अवस्थित इस्माईलपुर, बिन्दटोली ग्रामों के निकट बाढ़ वर्ष 2013 के पूर्व कटाव निरोधक कार्य, जिसकी पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 3883.00 लाख रू० है, के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 18. स्वीकृत।